प्रेस नोट थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर दिनांक 30.09.2020

थाना कैण्ट क्षेत्र के अंतर्गत दिनांक 21.09.2020 को हुई फायरिंग की घटना में एक व्यक्ति को घायल कर सड़क सरेराह दहशत फैलाने वाला एक सातिर अपराधी गिरफ्तार

दिनांक 20.09.2020 को पासा रेस्टोरेण्ट के पास हुई घटना के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 1231/20 धारा 147,148,149,323,504,506,307 भादवि व 7 सीएलए एक्ट व दिनांक 21.09.2020 को विशुनपुरा मोड़ व आर0के0बी0के0 मारुति शोरुम के पास बदमाशो द्वारा सड़क सरेआम फायरिगं करते हुए दहशत फैलाते हुए एक व्यक्ति को घायल कर देने के संबंध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 1228/20 धारा 147/148/149/307/323/504/506/427,120 बी भादवि व 7 सीएलए एक्ट पंजीकृत हुआ था। इस घटना को श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा गम्भीरता से लेते हुए घटना के अनावरण एवं इसमें संलिप्त अपराधियों की तत्काल गिरफ्तारी हेतु निर्देश दिया गया था श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर के निर्देशन में , श्रीमान क्षेत्राधिकारी कैण्ट के पर्यवेक्षण में, प्रभारी निरीक्षक कैण्ट के नेतृत्व में कई टीमें बनाकर कर लगायी गयी थी। जिसके क्रम में पूर्व में घटना का अनावरण करते हुए घटना में संलिप्त 09 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। अन्य वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु कई टीमें लगी हुई है , जिसके क्रम में आज दिनांक घटना 30.09.2020 समय 07.15 बजे महादेव झारखण्डी मन्दिर के पास से अभियुक्त अरनव सिंह पुत्र समर बहादुर सिंह निवासी अम्बेडकर नगर थाना बेवाना जिला अम्बेडकर नगर हा0मु0 म0न0 C140 दिव्य नगर थाना कैण्ट जनपद गोरखपुरगिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त

अभियुक्त अरनव सिंह पुत्र समर बहादुर सिंह निवासी अम्बेडकर नगर थाना बेवाना जिला अम्बेडकर नगर हा0मु0 म0न0 C140 दिव्य नगर थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

1. प्रभारी निरीक्षक श्री मनोज कुमा राय थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर
2. उ0नि0 सुभगनरायण सिंहथाना कैण्ट जनपद गोरखपुर
3. कां0 साहबलालथाना कैण्ट जनपद गोरखपुर
4. कां0 सुजीत कुमार यादव थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर
5. कां0 अजीतथाना कैण्ट जनपद गोरखपुर